न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज.
पीठासीन अधिकारी - श्री गंगाधर मीणा RAS

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
209/19	26-9-2019	06.9.2021

अनुदान

वासुदेव बनाम भगवत वगैरा

प्रार्थनापत्र आदेश 26 नियम 9 व धारा 151 जा. दी.

प्रार्थी अनिल पुत्र संदीप जाटोटे सरपरस्त माता सपना की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 व धारा 151 जा.दी. का इस आशय का पेश किया कि विवादित जायदाद वाके ग्राम धारन अहीर तहसील कोटकासिम पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 का शामलात में कब्जा काश्त है, शामलात में ही काश्त करते हैं। राजस्व रिकार्ड में भी शामलात में ही अंकित है। उक्त विवादित आराजी में वादीगण का भी हिस्सा है। दादालाई आराजी है व दादालाई आराजी में जन्म से ही नाबालिगान का हित व अधिकार है। विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं. 5 पूनम देवी का ना तो कब्जा है और ना ही काश्त करती है वो गैर काबिज वो गैर-वास्ता आराजी है। प्रतिवादी सं. 5 जबरन आराजी पर कब्जा करना चाहती है। इसलिए मौके की रिपोर्ट मंगवाया जाना न्याय संगत है। इसलिए निवेदन है कि मौका की रिपोर्ट मंगवाई जावे।

प्रतिवादिया संख्या 5 पूनम देवी के अधिवक्ता श्री दुलीचन्द यादव की ओर से जवाब [illegible] पेश किया गया। जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा पेश [illegible] खसरा नं. 1 में समस्त तथ्य मिथ्या व बनावटी व [illegible] जाए है। [illegible] कब्जा साबित करने व साक्ष्य एकत्रित करने के लिये कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:02:15 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजी खातेदारी आराजी है जिसके मिन प्रार्थी का वर्षों से हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं. 5 का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। जो गैर कानूनी तौर पर काबिज आराजी है। अप्रार्थीया सं. 5 जबरन विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहती है। विवादित आराजी खातेदारी आराजी है जिसमें मिन प्रार्थीगण का भी हिस्सा है और कानूनी कब्जे है, अतः मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक एवं न्यायहित में है। प्रार्थी अधिवक्ता ने RRT 2020(2) पेज 644 का दृष्टांत पेश किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5 का कथन है कि प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह मनगढ़ंत एवं मिथ्या व गलत तथ्य पेश करते हुए पेश किया गया है। कानूनन कब्जा साबित करने व साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे। इन तथ्यों को साबित करने के लिए अप्रार्थी अधिवक्ता ने RLW 2011(2) RJ पेज 869, R.R.T 2011(1) पेज 91, R.R.D 2013 पेज 776, R.L.W 2018(1) पेज 334, RLW 2018(2) पेज 1267 की दलील पेश की।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी पक्ष का कथन है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी सं. 5 का कब्जा नहीं है। विवादित आराजी खातेदारी है जिस पर मिन प्रार्थीगण का बरसों से निहित है। अप्रार्थी सं. 5 गैर कानूनी है। अप्रार्थी सं. 5 के अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों को आधार पर [illegible] है। कानूनन कब्जा साबित करने व साक्ष्य एकत्रित [illegible] मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता। [illegible] अधिवक्ता द्वारा पेश दृष्टांत तथ्य साबित व न्यायहित में होते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.9.21 को खुले न्यायालय सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:02:15 IST
Reason: SelfAttested